प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,
अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण–वितरण अधिकारी,
आगरा, एटा, बदायूँ, फतेहपुर, प्रयागराज, बस्ती, प्रतापगढ़, बाराबंकी, कानपुर देहात, महोबा, कन्नौज, श्रावस्ती, चित्रकूट, हापुड़ तथा सम्भल।

संख्या– 1/३५१/2021–1/08/2021 : लखनऊः दिनांक ०8 फरवरी, 2022

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–29/2021/792/33–3–2021–791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रूपया–29,89,88,736/–(रूपया उन्तीस करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार सात सौ छत्तीस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2021/बी–1–375/दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेषों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवष्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निवर्तन पर रखी जा रही धनराषि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
14. बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
15. यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।
16. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
17. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
18. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे–

1–कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेण्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2–वर्ष 2021–22 में यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसका समर्पण दिनांक 10.03.2022 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–107 पर अंकित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/ 347 /1/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-08/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1-347-2021-01-08-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 008-1-08-2021
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04 -
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9798416 159076331	3603811 37279355	0 666246	13402227 197021932
2	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	11404157 163351612	7722294 42150654	0 746420	19126451 206248686
3	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3196504 300836912	18416054 71033471	0 308890	21612558 372179273
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6046250 123352496	0 26195555	0 149521	6046250 149697572
5	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 447114251	0 122363132	121781 1775620	121781 571253003
6	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7000000 566441915	6870000 138225798	0 662961	13870000 705330674
7	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7622722 348670360	30111495 91783419	0 1236649	37734217 441690428
8	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	72622366 392596706	31257807 105086810	0 204103	103880173 497887619
9	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	15886157 244220997	8016019 61278184	0 205727	23902176 305704908
10	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1603555 81089749	34493 18674599	0 0	1638048 99764348
11	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5134585 165032872	9032953 39287588	0 170031	14167538 204490491
12	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14347200 105499148	2440200 21063114	0 0	16787400 126562262
13	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3740572 39201667	1522424 9305902	0 0	5262996 48507569
14	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1847117 73661205	2599049 19452538	0 6171	4446166 93119914
15	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8014200 143562027	8976555 40644296	0 102210	16990755 184308533
	योग	वर्तमान प्रगामी	168263801 3353708248	130603154 843824415	121781 6234549	298988736 4203767212

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ नवासी लाख अठासी हजार सात सौ छत्तीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब बीस करोड़ सैंतीस लाख सरसठ हजार दो सौ बारह

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी